बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
संकल्प

संख्या-5/वि०आ०2-1017/2023- 1821 पटना, दिनांक-27/08/25

परिवादी श्री राणा प्रताप सिंह के परिवाद पत्र पर सुनवाई के पश्चात जिला पदाधिकारी-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार(लो०शि०नि०), रोहतास, सासाराम द्वारा दिनांक-15.09.2023 को आदेश पारित करते हुए एकरारनामा सं0-01F_2/2020-21 के अन्तर्गत संवेदक श्री अनिल कुमार आर्या एवं एकरारनामा सं0-03F_2/2020-21 के अन्तर्गत संवेदक श्रीमती रेखा देवी से नौहट्टा प्रखंड अन्तर्गत क्रमशः 22-22 अदद चापाकल अधिष्ठापन कार्य में एकरारनामा में निहित प्रावधान/शर्तो के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण नहीं कराने एवं उक्त के आलोक में संवेदकों पर अविलम्ब कार्रवाई नहीं किए जाने के दृष्टिगत संबंधित अभियंताओं के विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री ईश्वरी प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम, प्रशाखा-नौहट्टा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-700, दिनांक-02.04.2025 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

02. श्री प्रसाद के पत्रांक-142, दिनांक-17.07.2025 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम अन्तर्गत एकरारनामा सं0-01F_2/2020-21 के अन्तर्गत संवेदक श्री अनिल कुमार आर्या एवं एकरारनामा सं0-03F_2/2020-21 के अन्तर्गत संवेदक श्रीमती रेखा देवी को नौहट्टा प्रखंड अन्तर्गत 22-22 अदद चापाकल अधिष्ठापन हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्यादेश निर्गत होने के तीन माह के अन्दर अर्थात् संवेदक श्री आर्या द्वारा दिनांक-10.08.2021 एवं श्रीमती रेखा देवी द्वारा दिनांक-06.09.2021 तक चापाकल अधिष्ठापित किया जाना था, परन्तु उक्त दोनों संवेदकों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के दो वर्षो के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। श्री प्रसाद द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि उनके द्वारा चापाकल अधिष्ठापन में संवेदकों के स्तर से किये जा रहे विलम्ब के दृष्टिगत संवेदकों को विभिन्न माध्यमों से त्वरित कार्य करने हेतु निदेशित भी किया गया था साथ ही कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम को उक्त दोनों संवेदकों के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा भी की गयी थी, परन्तु श्री प्रसाद द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उक्त के समर्थन में किसी प्रकार का साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

03. उपरोक्त वर्णित मामला जिला पदाधिकारी-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश के पश्चात संज्ञान में आने पर लगभग दो वर्षो के बाद संबंधित संवेदकों यथा श्री आर्या के एकरारनामा को दिनांक-05.07.2023 एवं श्रीमती रेखा देवी के एकरारनामा को दिनांक-06.07.2023 को विखंडित किया गया, जिससे स्पष्ट है कि श्री ईश्वरी प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रशाखा-नौहट्टा, प्रमंडल-सासाराम, सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, इमामगंज के स्तर से संवेदकों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारी से किसी प्रकार की अनुशंसा नहीं की गयी थी।

क्रमशः

04. उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री प्रसाद के स्तर से अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं शिथिलता बरती गयी है। अतएव श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध लघु दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

05. अतः वर्णित स्थिति में बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(I) के तहत श्री ईश्वरी प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रशाखा-नौहट्टा, प्रमंडल-सासाराम, सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, इमामगंज के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है:-

- ***निन्दन, जिसकी प्रविष्टि श्री प्रसाद के वर्ष-2023-24 की वार्षिक गोपनीय चारित्री में की जायेगी।***

06. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(हस्ताक्षर) 25/8/25

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)।

ज्ञापांक-5/वि०आ०2-1017/2023- 1821 पटना, दिनांक- 27/08/25

प्रतिलिपि:-वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 25/8/25

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)।

ज्ञापांक-5/वि०आ०2-1017/2023- 1821 पटना, दिनांक- 27/08/25

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, गयाजी/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेरघाटी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01/श्री ईश्वरी प्रसाद, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, इमामगंज/विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 25/8/25

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)।

(हस्ताक्षर) 25-8-25